

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, डीडवाना जिला नागौर (राज0)
पीठासीन अधिकारी : रिछपाल सिंह बुरडक, आर०ए०एस०

अपील संख्या 61/2019

1- मुन्नी देवी पत्नी गजानन्द जाति जांगिड़ निवासी गौरव पथ, लाडनूं तहसील
लाडनूं जिला नागौर राज0।

.....अपीलान्ट

बनाम

1- राजस्थान सरकार, जरिये पटवारी हल्का लाडनूं , तहसील लाडनूं जिला नागौर
राज0।

2- तहसीलदार लाडनूं , तहसील लाडनूं जिला नागौर राज0।

.....रेस्पोडेन्ट

उपस्थित अधिवक्ता-

1-श्री शेरसिंह जोधा अधिवक्ता अपीलान्ट की ओर से।

अपील विरुद्ध आदेश मुकदमा नम्बर 30/2017 बअनुवान राज्य
सरकार जरिये पटवारी हल्का लाडनूं बनाम मुन्नी देवी निर्णय दिनांक 10.04.
2019 अज अदालत तहसीलदार लाडनूं को अपास्त करने बाबत।

अपील अन्तर्गत धारा 75 लेण्ड रेवेन्यू एक्ट

निर्णय

दिनांक:07.12.21

{1} -यह अपील राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 75 के
अन्तर्गत तहसीलदार लाडनूं के प्रकरण सं० 30/2017 बअनुवान पटवारी हल्का
लाडनूं बनाम मुन्नी देवी में पारित निर्णय दिनांक 10.04.2019 के विरुद्ध पेश की
है।

{2} अपील के संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार है कि पटवारी हल्का लाडनूं ने
अपीलान्ट/अप्रार्थी के विरुद्ध न्यायालय तहसीलदार लाडनूं को रिपोर्ट पेश कर



kl
अतिरिक्त जिला कलक्टर
डीडवाना (नागौर)


निवेदन किया कि अपीलान्त/अप्रार्थी ने मौजा ग्राम लाडनूं के खसरा नम्बर 1683 रकबा 14-18 बीघा भूमि किस्म गैर मु0 खड्डा में से रकबा 00.04 बीघा भूमि पर संवत् 2074 में अप्रार्थी/अपीलार्थी द्वारा मकान बनाकर अतिक्रमण किया है तथा अतिक्रमी को अतिक्रमित भूमि से बेदखल करने का निवेदन किया। पटवारी हल्का की रिपोर्ट के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार लाडनूं ने प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर अपीलान्त/अप्रार्थी को राज0 भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत जरिये नोटिस जारी कर तलब किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलान्त/अप्रार्थी द्वारा मौजा लाडनूं के खसरा नम्बर 1683 रकबा 00.04 बीघा किस्म गैर मु0 खड्डा भूमि पर अतिक्रमण किये जाने से अपीलान्त/अप्रार्थी द्वारा किया गया अतिक्रमण राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के प्रावधानों का उल्लंघन होने से अतिक्रमण की श्रेणी में पाया गया। अतः अप्रार्थी को अतिक्रमी माना जाकर मौजा लाडनूं के खसरा नम्बर 1683 रकबा 00.04 बीघा गैर मुमकिन खड्डा से बेदखल किये जाने का आदेश दिया गया, एवं वार्षिक लगान दर 0.45 रूपये के 50 गुणा से जुर्माना रूपये 5/- अक्षरे पाचं रूपये कायम किया गया।

{3} -अपीलान्त ने अपनी अपील निम्न आधार अंकित करते हुए पेश की है :-

{3}(1)-यह है कि योग्य अधीनस्थ न्यायालय ने निर्णय अधीन अपील पारित करने में कानूनी एवम वाक्याती भूल की है, अतः निर्णय अधीन अपील अपास्त किये जाने योग्य है।

{3}(2)- यह है कि चुनौतिग्रस्त आदेश दिनांक 10.04.2019 को पारित करते हुए अधीनस्थ न्यायालय ने प्रार्थी अपीलार्थी को उसका प्रकरण में सम्पूर्ण पक्ष रखने एवं सुनवाई का बिना कोई अवसर प्रदान किये ही आनन फानन में उपरोक्त अपीलाधीन आलोच्य आदेश दिनांक 10.04.2019 पारित किया है। जो प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के विपरित होने से अधीनस्थ न्यायालय का आदेश दिनांक 10.04.2019 निरस्त फरमाया जाने योग्य है।




अतिरिक्त जिला कलक्टर
डीडवाना (नागौर)

{3}(3) - यह है कि अधीनस्थ न्यायालय ने प्रार्थी अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपने प्रार्थना पत्र दिनांक 09.10.2017 को एक प्रार्थना पत्र इस बाबत प्रस्तुत किया कि प्रार्थी अपीलार्थी खसरा नम्बर 1683 पर किसी प्रकार का कोई अवैद्य कब्जा कर अतिकर्मी नहीं है एवं प्रार्थी अपीलार्थी की भूमि का पुनः मौका रिपोर्ट सेटलमेन्ट कमेटी से करवाये जाने का निवेदन किया एवं उक्त प्रार्थना पत्र अनुसार दिनांक 27.10.2017 को अधीनस्थ न्यायालय के पीठासीन अधिकारी द्वारा भू0अ0अनि0 से मौका जांच रिपोर्ट करवाने का आदेश प्रदान किया तत्पश्चात 29 अक्टूबर भू0अ0अनि0 को जांच प्रस्तुत करने हेतु प्रदान किये जो उक्त अवसर दिनांक 27.10.2017 से 10.04.2019 तक प्रदान किये गये एवं दिनांक 10.04.2019 को भू.अ. नि. द्वारा उपरोक्त पुनः मौका रिपोर्ट जांच पर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की एवं उक्त दिनांक को ही अधीनस्थ न्यायालय के पीठासीन अधिकारी द्वारा प्रार्थी अपीलार्थी के विरुद्ध उपरोक्त अपीलार्थीन आलौच्य आदेश पारित किया है जो प्रार्थी अपीलार्थी को बिना कोई उचित सुनवाई व पक्ष रखने का अवसर प्रदान किये ही पारित किया गया होने से प्रथम दृष्टया ही अस्वीकृत फरमाये जाने योग्य होने से अस्वीकृत फरमाया जाकर खारिज फरमाया जावे।

{3}(4) - यह है कि प्रार्थी अपीलार्थी की उपरोक्त भूमि खसरा नम्बर 1683 गै.मु. आबादी भूमि का भाग है जो प्रार्थी अपीलार्थी ने जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 19.12.1990 को सीता देवी धर्मपत्नी कुनणमल शर्मा जाति ब्राहमण सारस्वत निवासी लाडनूं से क़य की है एवं तत्कालीन विक्रेता सीता देवी ने उपरोक्त भूमि 04.08.1975 को तत्कालीन विक्रेता मदनलाल आर्य अध्यक्ष हिन्दू नाई सभा पंचायती लाडनूं से खरीद की है जो गत विक्रेता की भूमि का ईमारी पट्टा सम्वत 2001 का ठिकाना लाडनूं से प्रथम स्वामी हिन्दू नाई पंचायत के नाम से बना हुआ है। जो कि गत वार्ड नं03 की द्वितीय श्रेणी में स्थित होकर घोषित आबादी खसरा नम्बर 1683 का भाग था जिस बाबत राजस्व कर्मचारी हल्का पट्टवारी लाडनूं द्वारा दिनांक 19.12.1990 का खसरा 1683 की भूमि आबादी होने




अतिरिक्त जिला कलक्टर
डीडवाना (नाशेर)

बाबत प्रमाण पत्र भी दिया गया होने से उपरोक्त अपीलाधीन आलोच्य आदेश प्रथम दृष्टया ही अवैद्य व विधि विरुद्ध होने होने से खारिज फरमाया जावे।

{3}(5)—यह है कि प्रार्थी अपीलार्थी ने अपनी उपरोक्त स्वामित्व कब्जा आधिपत्य सूदा भूमि जो रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के निष्पादन द्वारा प्राप्त की गयी है में निर्माण व अन्य मूलभूत सुविधाएं बिजली व जल सप्लाई बाबत स्थानिय निकाय नगरालिका मण्डल लाडनूं से अनुमति प्राप्त कर संबंध संयोजित किये गये है जो उपरोक्त कब्जा आधिपत्यसूदा भूमि आबादी की होकर खसरा नम्बर 1683 का भाग होने से प्रार्थी अपीलार्थी के विरुद्ध पारित उपरोक्त अपीलाधीन आलोच्य आदेश खारिज फरमाये जाने योग्य होने से खारिज फरमाया जावे।

{3}(6) —यह है कि प्रार्थी अपीलार्थी द्वारा कयसूदा भूमि का इमारती पट्टा तत्कालीन जागीरदार ठिकाना लाडनूं द्वारा सम्वत 2001 का सावण सूदी पंचमी का, प्रथम स्वामी हिन्दू नाई पंचायत के नाम से जारी किया हुआ है तथा राज्य सरकार द्वारा जारी प्रपत्र संख्या प-6"42" राजस्थान 58 दिनांक 05.01.1963 के पैरा संख्या 6 में स्पष्ट प्रावधान है कि तत्कालीन जागीरदार द्वारा जिस किसी भी भूमि को आबादी भूमि के रूप में हस्तान्तरित कर दिया गया है उसके संबंध में रेवेन्यू एक्ट के तहत किसी प्रकार का कोई ऐतराज नहीं उठाया जा सकता उपरोक्त पट्टाधीन भूमियां आबादी कस्बा लाडनूं की भूमियां है जिस बाबत अधीनस्थ न्यायालय को किसी प्रकार से कोई भी अतिक्रमण संबंधी कार्यवाही करने का अधिकारीता व क्षेत्राधिकार न होते हुए भी उपरोक्त आलोच्य आदेश पारित किया है जो काबिले खारिज फरमाये जाने योग्य है।

{3}(7)—यह है कि उपरोक्त अपीलाधीन आलोच्य आदेश से संबंधित भूमि जो प्रार्थी की जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र खरीदसुदा भूमि होकर आबादी की भूमि है जिस पर निर्माण बाबत दिनांक 10.03.2005 को स्थानीय नगरपालिका लाडनूं में तामीर स्वीकृति पेटे राशि जमा करवाकर गत विक्रेता निर्मला देवी पत्नी शुभकरण ने निर्माण स्वीकृति भी प्राप्त की थी एवं आज दिन अपीलार्थी अपने व्यवसाय तथा



अतिरिक्त जिला कलक्टर
डीडवाना (नापौर)



आवास के रूप में उपरोक्त क़यसूदा जायगा का निर्बाध रूप से उपयोग उपभोग वर्षों से करता आ रहा है। जो उपरोक्त अपीलार्थी के विरुद्ध पारित आलोच्य अपीलाधीन आदेश पूर्णतया गलत होकर खारिज फरमाया जाने योग्य होने से खारिज फरमाया जावे।

{3}(8) – यह है कि उक्त आलोच्य आदेश अधीनस्थ न्यायालय के पीठासीन अधिकारी द्वारा पारित किया गया है जो उक्त अधीनस्थ न्यायालय के पीठासीन अधिकारी पदेन उप पंजीयक के रूप में भी कार्य करते हैं एवं अधीनस्थ न्यायालय के वर्तमान तथा पूर्व पीठासीन अधिकारी के समक्ष उपरोक्त आलोच्य आदेश से वर्णित खसरा नम्बर 1639 से संबंधित भूमियों का पूर्व में जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के अनेको पक्षकारों द्वारा समय समय पर हस्तान्तरित की जाकर विक्रय विलेखों को पंजीबद्ध किया जा चुका है एवं उपरोक्त विक्रय विलेखों के निष्पादन एवं पंजीबद्ध के समय अधीनस्थ न्यायालय के तत्कालीन पीठासीन अधिकारी द्वारा पदेन उप पंजीयक के तौर पर हस्तान्तरित भूमियों का मौका निरीक्षण भी समय समय पर किया गया है एवं वक्त मौका निरीक्षण अधीनस्थ न्यायालय के किसी भी पीठासीन अधिकारी द्वारा किसी भी प्रकार की कोई अतिक्रमण सम्बन्धी रिपोर्ट उपरोक्त खसरा नम्बर 1639 के आबाद व्यक्तियों के विरुद्ध कभी भी नहीं की गयी है। उक्त अतिक्रमण संबंधि रिपोर्ट हल्का पटवारी द्वारा आपसी द्वेषता से ग्रसित होकर निराधार तथ्यों व कपोल कल्पित आधारों पर गलत रिपोर्ट अधीनस्थ न्यायालय के पीठासीन अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत जिस पर अपीलार्थी द्वारा दस्तावेज प्रस्तुत करने के बावजूद भी अपीलार्थी के उक्त दस्तावेजों पर बिना कोई गौर फरमाये ही प्राकृतिक न्याय व विधि की मंशा के विपरित जाकर आलोच्य आदेश पारित किया है जो खारिज फरमाये जाने योग्य होने से खारिज फरमाया जावे।





अतिरिक्त जिला कलक्टर
डीडवाना (नागौर)

{3}(9) – यह है कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपने आलोच्य निर्णय आदेश में भू अभिलेख की हैसियत से जारी आदेश पत्रांक भू0अ0/2017/1032-1038 दिनांक 08.4.2017 के तहत गठित टीम द्वारा किये गये सीमाज्ञान रिपोर्ट को भी आधार माना है जबकि उपरोक्त सीमाज्ञान हेतु गठित टीम के समक्ष प्रार्थी अपीलार्थी ने अपनी अधिकारिता कब्जा अधिपत्य सूदा भूमि के सम्पूर्ण दस्तावेज प्रस्तुत कर दिये गये थे जो कि उक्त सीमाज्ञान टीम की रिपोर्ट में भी वर्णित किया गया है कि प्रार्थी अपीलार्थी अपने मालिकाना दस्तोजों के अनुसार मौके पर काबिज है एवं प्रार्थी अपीलार्थी द्वारा माननीय उपखण्ड अधिकारी डीडवाना के आदेश से उपरोक्त खसरान भूमि को समय समय पर भिन्न भिन्न व्यक्तियों के पक्ष में उपरोक्त खसरान भूमि 1639 में से अधिकांश भूमियां गैर मुमकिन आबादी दर्ज होने का आदेश भी प्रस्तुत किया था जो कुछ भूमियां आदेशानुसार राजस्व रेकॉर्ड में अमल दरामद नहीं है जिसके बावजूद भी उपरोक्त सीमाज्ञान रिपोर्ट को आधार मानते हुये अधीनस्थ न्यायालय ने आलोच्य आदेश पारित किया है जो काबिले निरस्त होने से खारिज फरमाया जावे।

{3}(10) – यह है कि अपीलाधीन आलोच्य आदेश में वर्णित खसरा नम्बर 1683 के पास स्थित भूमि खसरा नम्बर 1639 की भूमि भी आबादी की भूमि है जिसका तरमीम अंकन राजस्व रेकॉर्ड नक्शा लट्ठा में नहीं हुआ है तथा सहवन से उपरोक्त भूमि राजकीय खाते में दर्ज होकर गैर मुमकिन के रूप में दर्ज हो रखी है जो उपरोक्त खसरान भूमियों के चारों ओर सधन आबादी क्षेत्र होना हल्का पटवारी की रिपोर्ट आदेश दिनांक 08.04.2017 में किया गया है जो बिना किसी उचित व वास्तविक रूप से बिन्दू/सीमाचिन्ह निर्धारित किये ही उपरोक्त प्रस्तुत सीमाज्ञान रिपोर्ट दिनांक 08.04.2017 के आधार पर अपीलाधीन आलोच्य आदेश पारित किया गया है जो प्रथम दृष्टया ही खारिज फरमाये जाने योग्य होने से खारिज फरमाया जावे।


{3}(11) – यह है कि मुख्य या निश्चित प्रमाणित बिन्दू से माप नहीं करके मौके पर रास्तों की खुली भूमि से ही जरीब चलाया जाना बताया है जबकि उपरोक्त


अतिरिक्त जिला कलक्टर
डीडवाना (नागौर)



रास्ते वर्तमान में न तो मूल राजस्व रेकॉर्ड में दर्शित है एवं न ही मूल नक्शा सीट में तरमीम सूदा है तथा न ही उनके सही स्थान पर मुताबिक रेकॉर्ड में दर्शित रास्तों का प्रमाणित होना माना जा सकता है। जिससे यह साबित है कि बिना प्रमाणिक बिन्दू से जरीब चलाकर किया गया माप सघन आबादी के मध्य सही होना असम्भव ही हैं एवं गलत बिन्दू से किया गया माप के आधार सीमाज्ञान रिपोर्ट को प्रमाणित मानते हुये की गयी अतिक्रमण सम्बन्धी कार्यवाही काबिले खारिज फरमाई जानी योग्य होने से खारिज फरमाई जावे।

[3](12) -यह है कि अधीनस्थ न्यायालय ने तहसीलदार भू0अ0 की हैसियत से जारी पत्रांक भू0अ0/2017/1032-1038 दिनांक 08.4.2017 के तहत गठित टीम द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट को अतिक्रमण का आधार माना है जबकि उपरोक्त टीम द्वारा बिना किसी सीमा चिन्ह बिन्दू को निश्चित नहीं किये हुये ही सीमाज्ञान किया है जो उपरोक्त टीम द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट में भी अंकित है कि उपरोक्त क्षेत्र संघन आबादी क्षेत्र है जिस कारण गुगल मैप, गुगल अर्थ, प्रो आदि सॉफ्टवेयर कम्प्यूटर की मदद लिया जाकर सीमाज्ञान रिपोर्ट प्रस्तुत की गयी है। जबकि उपरोक्त आधारों पर तैयार की गयी सीमाज्ञान रिपोर्ट को कतई विश्वसनीय नहीं माना जा सकता क्योंकि उपरोक्त कम्प्यूटर सॉफ्टवेयर मात्र जानकारी प्रदत्त करने वाले सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है जिनके संबंध में राजस्व विभाग द्वारा अथवा राज्य सरकार अथवा केन्द्र सरकार द्वारा कोई भी दिशा निर्देश, परिपत्र सरकुलर आदि जारी नहीं किये गये जानकारी प्रमाणीक कि तारिफ में नही आती है मात्र खानापूर्ति करने के लिये संयुक्त रूप से गठित उक्त टीम ने उक्त सीमाज्ञान रिपोर्ट प्रस्तुत की है जो बिना किसी प्रमाणित माप व आधुनिक प्रमाणिक के संयंत्रों के द्वारा तैयार की गयी होने के बावजूद भी उक्त सीमाज्ञान रिपोर्ट को अधीनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय का अभिन्न अंग माना है तथा हल्का पटवारी द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट भी अपने आप में विरोधाभाषी कथन का वर्णन कर रही है उक्त रिपोर्ट में हल्का पटवारी द्वारा सम्वत 2074 में अपीलार्थी द्वारा मकान बनाकर अतिक्रमण करना बताया है तथा उक्त रिपोर्ट में भी अतिक्रमण पुराना होने का कथन किया है जो अपने आप में विरोधाभाषी कथन है जबकि अपीलार्थी द्वारा एवं



अतिरिक्त जिला कलक्टर
डीडवाना (नाथूर)



अपीलार्थी से पूर्व जो भी क्रेतागण उपरोक्त आलोच्य आदेश के अधिन रही भूमि के भू स्वामी रहे है उनके द्वारा उक्त कयसूदा भूमि में पक्के रहवासीय मकानात निर्माण कर रखा है जो वर्षो पुराना है प्रार्थी अपीलार्थी के विरुद्ध उक्त अतिक्रमण मानते हुये बेदखली का आदेश प्रदान किया है जो कतई विधि सम्मत व राजस्व नियमों अधिनियमों के अनुकूल नहीं होने से काबिले निरस्त होने से निरस्त फरमाया जावे।

[3](13) - यह है कि स्थानीय निकाय द्वारा उपरोक्त पट्टाधीन भूमियों में रहवास एवं निवास कर रहे व्यक्तियों से गृहकर के रूप में राशि भी वसूल समय समय पर की जाती रही है जो अपीलार्थी सहित अन्य उपरोक्त खसरा नम्बर भूमि खसरा नम्बर 1683 में रहवास निवास कर रहे अड़ौस पड़ौस के व्यक्तियों द्वारा भी समय समय पर गृहकर रूप में स्थानीय निकाय को राशि अदा की जाती रही है। सहवन से उक्त भूमि राजस्व कर्मचारियों की गलती से गैर मुमकिन खडडा दर्ज हो रखी है जो कि पूर्णतया गलत दर्ज हो रखी है एवं उक्त राजस्व कर्मचारियों की भूल के आधार पर उपरोक्त आलोच्य आदेश के अधीन खसरा नम्बर भूमि में रहवास एवं निवास कर रहे अपीलार्थी सहित अन्य व्यक्तियों के विरुद्ध अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाधीन आलोच्य आदेश पारित किया है जो शुरू से खारिज फरमाया जाने योग्य होने से खारिज फरमाया जावे।


[3](14) - यह है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आलोच्य आदेश की जानकारी होते ही अविलम्ब प्रमाणित प्रतियां प्राप्त कर अन्य सुसंगत दस्तावेज जो कि प्रार्थी अपीलार्थी के वैद्य कब्जा आधिपत्य से संबंधित है को प्राप्त कर जानकारी तिथि से अविलम्ब अन्दर मियाद ही उपरोक्त अपील प्रस्तुत की जा रही है एवं उपरोक्त अपीलाधीन आलोच्य आदेश के पारित करने की दिनांक एवं जानकारी तिथि से प्रमाणित प्रतियां प्राप्त करने में लगे समय को कण्डोन किया जाना न्याय संगत है जो उपरोक्त निर्णय से जानकारी होने से उसी रोज अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रमाणित प्रतियां हेतु आवेदन प्रस्तुत कर दिया था एवं बाद प्रमाणित प्रतियां प्राप्त कर उपरोक्त अपील प्रार्थी अपीलार्थी को विधिक


अतिरिक्त जिला कलक्टर
डीडवाना (नागौर)

रूप से प्राप्त अपीलीय अधिकारों के तहत प्रस्तुत की जा रही है जो उपरोक्त समयावधि के कण्डोन हेतु मयाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र अलग से प्रस्तुत किया जा रहा है तथा प्रार्थी अपीलार्थी के विरुद्ध उसको सुनवाई का समुचित अवसर दिये बिना उपरोक्त अपीलाधीन आलोच्य आदेश पारित किया है जो खारिज फरमाये जाने योग्य होने से अपील का अंतिम रूप से निस्तारण किये जाने से पूर्व पक्ष अपीलार्थी विरुद्ध रेस्पोजेन्ट अंतरिम अस्थायी निषेधाज्ञा का आदेश भी प्राप्त करना चाह रहा है जो प्रदान किया जाना उचित एवं न्याय संगत होकर विधि सम्मत व प्राकृतिक न्याय के अनुकूल है। उपरोक्त स्थगन आदेश न प्रदान करने की स्थिति में प्रार्थी अपीलार्थी की अपील का औचित्य ही समाप्त हो जायेगा एवं प्रार्थी अपीलार्थी न्याय प्राप्त करने से वंचित रह जायेगा। उपरोक्त निर्णय दिनांक की जानकारी से पूर्व व्यतीत समय को कण्डोन किया जाना भी न्याय संगत होगा। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष हल्का पटवारी द्वारा किसी प्रकार की सीमांज्ञान रिपोर्ट राजस्व रेकॉर्ड में दर्ज गट्टा अनुसार प्रस्तुत नहीं की है एवं किन किन व्यक्तियों/मौतबीरान के समक्ष उक्त अतिक्रमित बताई जाने वाली भूमि का सीमांज्ञान किया गया उक्त उपस्थित मौतबीरान के हस्ताक्षर भी सीमांज्ञान रिपोर्ट में नहीं है मात्र प्रार्थी अपीलार्थी से रंजिश रखने वाले लोगों द्वारा मनगढत एवं झूठे तथ्यों पर की गयी शिकायत पर हल्का पटवारी ने अतिक्रमण की रिपोर्ट पेश की है जो रिपोर्ट अपने आप में अपूर्ण होने से उक्त रिपोर्ट के आधार पर पारित आदेश निरस्त किये जाने योग्य है।

[4] उक्त निर्णय से व्यथित होकर अपीलान्त द्वारा यह अपील दिनांक 11.07.19 को इस न्यायालय में प्रस्तुत की गयी। अपीलान्त की अपील को दिनांक 15.07.19 को दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोजेन्ट को जरिये सम्मन सुनवाई हेतु तलब किया गया। अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड हेतु तलबी जारी की गयी। अधीनस्थ न्यायालय का रिकोर्ड उनके पत्र क्रमांक 713 दिनांक 30.07.2019 के द्वारा प्राप्त हुआ।




अतिरिक्त जिला कलक्टर
लुधियाना (नापौर)


[5]- अपीलान्ट ने दिनांक दिनांक 03.8.21 को प्रार्थना पत्र बाबत क्षेत्राधिकार पेश कर निवेदन किया की मातहत अदालत तहसीलदार लाडनू द्वारा अपीलाधीन भूमि के संबंध में बेदखली आदेश पारित करने से पूर्व यह विचार नहीं किया कि विवादित भूमि का निर्णय करने का क्षेत्राधिकार अधीनस्थ न्यायालय को है या नहीं? इस बिन्दू पर प्राथमिक रूप से बहस सुनी जाकर क्षेत्राधिकार के बिन्दू को निर्धारित निर्णय पश्चात ही अपील को अंतिम रूप से गुणावगुण के आधार पर सुनवाई करने का निवेदन किया ।

अपीलान्ट ने दिनांक 10.8.21 को प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 01नियम 10 (2)सपठित धारा 151 सी.पी.सी. वास्ते स्थानीय निकाय नगरपालिका मण्डल लाडनू को पक्षकार बनाने का पेश कर निवेदन किया। तथा इसी दिन एक और प्रार्थना पत्र बाबत अतिरिक्त साक्ष्य साक्षी को परिक्षण करवाने बाबत धारा 151 सी.पी.सी. भी पेश किया ।

अपीलान्ट की उक्त तीनों प्रार्थना प्रार्थना की बहस सुनी गयी। पत्रावली पर उपलब्ध रिकोर्ड का व तीनों प्रार्थना पत्रों का अवलोकन व मनन करने के उपरान्त प्रार्थी के तीनों प्रार्थना पत्र (1)क्षेत्राधिकार (2) अतिरिक्त साक्ष्य साक्षी को परिक्षण करवाने बाबत धारा 151 सी.पी.सी. तथा (3) प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 01 नियम 10 (2) सपठित धारा 151 सी.पी.सी. वास्ते स्थानी निकाय नगरपालिका मण्डल लाडनू को पक्षकार बनाने बाबत सारहीन होने से खारिज किये गये।

[6] प्रस्तुत अपील को गुणावगुण पर निर्णित करने से पूर्व उसके मियाद में होने के संबंध में धारा 5 परिसीमा अधिनियम 1963 को निर्णित किया जाना आवश्यक है। अपीलार्थी द्वारा अपील निर्धारित समयावधि में ही पेश की गयी है। अपीलान्ट ने यह अपील इस न्यायालय में दिनांक 11.7.2019 को प्रस्तुत की है तथा अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 10.4.2019 को किया गया। इस न्यायालय में अपील पेश करने की सीमा एक माह की होती है। अपीलान्ट ने अपील समय सीमा के बाद प्रस्तुत की तथा संलग्न धारा 5 लिमिटेशन एक्ट का प्रार्थना पत्र मय





अतिरिक्त जिला कलक्टर
डीडवाना (नागौर)

शपथ-पत्र पेश कर अपील को अन्दर मियाद शुमार करने का नैदन किया है। अपीलान्ट के प्राथना पत्र मय शपथ पत्र व पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजो को आधार मानकर अपीलान्ट की अपील पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करते हुए अपील को अन्दर मिया शुमार करने के आदेश दिए जाते हैं।

[7]- वकील अपीलान्ट की बहस सुनी गयी। वकील अपीलान्ट ने अपनी अपील के तथ्यों को दोहराते हुवे तर्क दिया है कि वर्तमान में वादग्रस्त आराजी में पूर्णरूप से आबादी बस चुकी है तथा वादग्रस्त आराजी जरिये रजिस्टर्ड दस्तावेज से आबादी भूमि के रूप में खरीद की गयी है। निर्माण कार्य हेतु विधिवत रूप से नगरपालिका लाडनूं से अनुमति लेकर ही निर्माण किया गया है। इस प्रकार अपीलार्थी के विरुद्ध तहसीलदार लाडनूं द्वारा अतिक्रमण हटाने की, की गयी कार्यवाही विधि सम्मत नहीं है। अतः अपीलान्ट की अपील स्वीकार फरमाया जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय निरस्त फरमाया जावे। विद्वान अधिवक्ता ने अपनी बहस तथ्यों को दोहराते हुवे अन्त यह निवेदन किया है कि अपीलीय आधार पूर्ण रूप से अपीलान्ट के पक्ष में होने से अपील स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार लाडनूं द्वारा मुकदमा संख्या 30/17 बअनुवान हल्का पटवारी लाडनूं बनाम मुन्नी देवी में पारित निर्णय दिनांक 10.04.2019 को खारिज फरवाने का आदेश प्रदान करावें।


[8] - बहस अधिवक्ता अपीलार्थी पर मनन एवं पत्रावली पर मौजूद दस्तावेजात एवं अधिवक्ता अपीलार्थी द्वारा पेश दस्तावेजात का अध्ययन किया गया। प्रकरण में तहसीलदार लाडनूं द्वारा कमेटी गठित कर रिपोर्ट प्राप्त की गयीं। तहसीलदार लाडनूं से प्राप्त दिनांक 09.07.2021 की वर्तमान मौका जांच रिपोर्ट अनुसार विचाराधीन भूमि कस्बा लाडनूं के पुराना खसरा नं0 1639 व नई ऑनलाईन तरमीम नक्शा व जमाबन्दी रिकार्ड के अनुसार नया खसरा 2936/1639 गै0 मु0 खड्डा भूमि का मौके पर जाँच रिकॉर्ड अनुसार मिलान किया गया व अतिक्रमी मुन्नी देवी पत्नी गजानन्द जागिड़ की भूमि मकानात प्लाट का मिलान किया गया




अतिरिक्त जिला कलक्टर
डीडवाना (नागर)

उक्त आधार साक्ष्य के अनुसार उक्त भूमि में मकानात बनाये गये की रिपोर्ट साक्ष्य
मुन्नी देवी ने अपनी कब्जा सुदा भूमि के क्रय पत्र व
पट्टा व नगरपालिका द्वारा प्रमाण पत्र बिजली पानी का बिल इत्यादी पेश
किये गये उक्त प्लॉट मुन्नी देवी द्वारा जरिये रजिस्ट्री क्रय की गई जो खसरा
1683 गै0मु0 में से भूमि खरीदी गई है जिसका तत्कालीन पटवारी अमृताराम हल्का
लाडनूं द्वारा वर्ष 1990 में आबादी भूमि का प्रमाण पत्र की प्रति भी पेश की गई वह
मुन्नी देवी रजिस्ट्री संख्या 1975 दिनांक 15.4.1975 को आबादी भूमि के नाम से
रजिस्ट्री हुई है। उसी क्रय सुदा भूमि के आधार से मुन्नी देवी अपनी भूमि आबादी
में बता रही है। वर्तमान राजस्व रिकार्ड व आनलाईन नक्शा के अनुसार मुन्नी देवी
की भूमि ऑनलाईन नक्शा के अनुसार पुराना गै0मु0 आबादी खसरा 1683 के
चिपता मकानात बनाया हुआ है जिसके पूर्व में मकानात आबादी व पश्चिम दिशा
में गोरवपथ सड़क बनाई हुई है। वह ऑनलाईन नक्शा तरमीम होने के बाद
खसरा 1639 का नया खसरा नं0 2936/1639 गै0मु0 खण्डा रकबा 1-9912
हैक्टेयर है। वह नये आबादी खातेदारों के नाम से 9 टूकड़ों में खसरा 1639 बंट
चूका है। जिसका नाप सीमांकन वर्तमान में नहीं किया गया है। पुराने सीमांकन
ऑनलाईन से पूर्व दिनांक 11.4.17 से 17.4.2017 तक सर्वे टीम द्वारा सर्वे में मुन्नी
देवी का प्लॉट खसरा 1639 में खडडा भूमि में मानकर धारा 91अ की कार्यवाही
हेतु तहसीलदार लाडनूं में मु0नं0दर्ज किया गया है मौके पर मुन्नीदेवी का
मकानात आबादी खसरा 1683 के उत्तर दिशा में 800 वर्ग गज का प्लॉट में स्थित
है। जिसमें बिजली पानी की सुविधाएं व नगर पालिका लाडनूं द्वारा टैक्स जमा
सन् 1991 की रसीद संलग्न है।

तहसीलदार की जांच रिपोर्ट के अध्ययन से यह स्पष्ट होता है कि अपीलान्त
द्वारा अपना भूखण्ड आबादी भूमि में क्रय करने सम्बन्धी दस्तावेजात तहसीलदार
लाडनूं के समक्ष वक्त मौका निरीक्षण पेश किए हैं जिसमें आबादी भूमि से खरीदा
होना बताया है साथ ही नगरपालिका लाडनूं को जमा टैक्स की रसीदों की
फोटोप्रति भी पेश की है तथा आबादी भूमि का प्रमाण पत्र की फोटोप्रति पटवारी
हल्का लाडनूं द्वारा तैयार किया गया है, पेश की है। जांच रिपोर्ट में यह भी स्पष्ट


अतिरिक्त जिला कलक्टर
डीडवाना (नागौर)



संकेत है कि ख0नं0 1639 का नया ख0नं0 2936/1639 गै0मु0खड्डा रकबा 1.9912 हैक्टेयर 9 टुकड़ों में बंट चुका है जिसका सीमाकंन वर्तमान में नहीं किया हुआ है। अतः इस सन्दर्भ में सही सही जांच की जाकर ही अग्रिम कार्यवाही की जाना उचित प्रतीत होती है। इस प्रकार प्रकरण में अपीलान्ट द्वारा पेश दस्तावेजात एवं नवीनतम राजस्व रेकर्ड यथा जमाबन्दी, नक्शा ट्रेश व तरमीम की वास्तविक स्थिति की जांच की जानी आवश्यक है।

:::: आदेश ::::

अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 10.04.2019 को निरस्त किया जाकर तहसीलदार लाडनूं को इस निर्देश के साथ रिमाण्ड की जाती है कि सभी दस्तावेजात का सही सही पुनः परीक्षण, जांच एवं विश्लेषण कर नये सिरे से विधिसम्मत आदेश पारित करें।



bl
(रिछपाल सिंह बुरडक)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
डी.डी.वा. न. (नागौर)

निर्णय आज दिनांक 07.12.2021 को मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय की मुद्रा से जारी कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।



bl
(रिछपाल सिंह बुरडक)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
डी.डी.वा. न. (नागौर)